न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/39/2018	11—05—2018	04—12—2019

01— मुखराम पुत्र श्री घुडयाराम जाति अहीर निवासी काली पहाड़ी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

—अपीलांट

बनाम

01— तहसीलदार मालाखेड़ा, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा दिनांक 09.04.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 137/2018

उपस्थितः—

01—श्री निर्मल जांगिड़ —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 09.04.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम कालीपहाड़ी की सरकारी गै0मु0पहाड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 34/1.02 है0 में से 346 वर्गमीटर पर अवैध कब्जा करने पर की बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कालीपहाड़ी की सरकारी गै0मु0पहाड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 34/1.02 है0 में से 346 वर्गमीटर पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 24.02.2018 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व लगान से दण्डित किया। अतः अपीलार्थी को बेदखली व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 01.04.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय छपे—छपाये साइक्लोस्टाईल प्रफॉर्मा पर केवल रिक्त स्थान पूर्ति कर जारी किया गया है। निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा पेश किये गये जवाब के बारे में कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसील मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04—12—2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)